न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा/2017/4508

कालुसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत आयु ...वर्ष

निवासी-बैलारा तह. पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र. ...प्रार्थी

बनाम

बापुसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत आयु ...वर्ष

निवासी-बैलारा तह. पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र. ...प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

निगरानी व नाराजगी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय पिपलौदा के प्रकरण क्रमांक 12अ-27/16-17 में पारित आदेश दिनांक 22/09/2017 से असंतुष्ट होकर

द्वारा आज दि. 15.11.17 को प्रस्तुत
15/11/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पं.दि. 13-12-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग./रतलाम/भू.रा./2017/4508

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार पिपलौदा जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–9–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अनावेदक को जबाव प्रस्तुत करने हेतु आवेदन की प्रति एवं बटवारा फर्द की प्रति देने के आदेश दिये गये हैं, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	